न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 — 135/2022

अनवान : —

1. नन्दराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. जयलाल पुत्र श्री मनसुखराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. शीशपाल पुत्र श्री जयलाल जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. महावीर पुत्र श्री जयलाल जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. धर्मा पुत्री श्री जयलाल जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. सावित्री पुत्री श्री जयलाल जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
6. संतोष पुत्री श्री जयलाल जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री पवन सिहाग वादी
श्री महावीर सिंह प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 09-09-22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बारानी के खाता सं0 39/14 के मु0 न0 24 के किला न0 17 ता 25, मु0 न0 25 किला न0 21 ता 24, मु0 न0 32 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, मु0 न0 33 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 34 किला न0 6/1, 6/2, 15/1, 15/2 कुल रकबा 12.055है0 जिसमें से बारानी 11.9790है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0760है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के नाम से 568/12055 हिस्सा व चक 2 बारानी के खाता सं0 56/52 के मु0 न0 34 के किला न0 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 35 के किला न0 16, 25, मु0 न0 41 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24 मु0 न0 42 किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2 कुल रकबा 7.5900है0 जिसमें से नहरी 7.3360है0, गै0 मु0 रास्ता 0.2540है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के नाम से 659/7590 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योकरण की खातेदारी हुआ करती थी। प्रवितादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली । वाद भूमि में वादी तथा प्रवितादी सं0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। व प्रतिवादी सं0 7 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

साक्ष्य वादी में वादी नंदराम पुत्र जयलाल के द्वारा साक्ष्य करवायें गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 2 बारानी के खाता सं0 39/14 के मु0 न0 24 के किला न0 17 ता 25, मु0 न0 25 किला न0 21 ता 24, मु0 न0 32 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, मु0 न0 33 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 34 किला न0 6/1, 6/2, 15/1, 15/2 कुल रकबा 12.055है0 जिसमें से बारानी 11.9790है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0760है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के नाम से 568/12055 हिस्सा व चक 2 बारानी के खाता सं0 56/52 के मु0 न0 34 के किला न0 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 35 के किला न0 16, 25, मु0 न0 41 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24 मु0 न0 42 किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2 कुल रकबा 7.5900है0 जिसमें से नहरी 7.3360है0, गै0 मु0 रास्ता 0.2540है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के नाम से 659/7590 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी नन्दराम व प्रतिवादी सं0 2 शीशपाल व प्रतिवादी सं0 3 महावीर प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीक्री योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बारानी के खाता सं0 39/14 के मु0 न0 24 के किला न0 17 ता 25, मु0 न0 25 किला न0 21 ता 24, मु0 न0 32 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20 मु0 न0 33 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 34 किला न0 6/1, 6/2, 15/1, 15/2 कुल रकबा 12.055है0 जिसमें से बारानी 11.9790है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0760है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के नाम से 568/12055 हिस्सा व चक 2 बारानी के खाता सं0 56/52 के मु0 न0 34 के किला न0 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 35 के किला न0 16, 25, मु0 न0 41 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24 मु0 न0 42 किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2 कुल रकबा 7.5900है0 जिसमें से नहरी 7.3360है0, गै0 मु0 रास्ता 0.2540है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के नाम से 659/7590 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 जयलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी नन्दराम व प्रतिवादी सं0 2 शीशपाल व प्रतिवादी सं0 3 महावीर प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09-09-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 135/2022

अनवान : –

1. नन्दराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. जयलाल पुत्र श्री मनसुखराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. शीशपाल पुत्र श्री जयलाल जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. महावीर पुत्र श्री जयलाल जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. धर्मा पुत्री श्री जयलाल जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. सावित्री पुत्री श्री जयलाल जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
6. संतोष पुत्री श्री जयलाल जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री महावीर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बारानी के खाता सं0 39/14 के मु0 न0 24 के किला न0 17 ता 25, मु0 न0 25 किला न0 21 ता 24, मु0 न0 32 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, मु0 न0 33 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 34 किला न0 6/1, 6/2, 15/1, 15/2 कुल रकबा 12.055है0 जिसमें से बारानी 11.9790है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0760है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के नाम से 568/12055 हिस्सा व चक 2 बारानी के खाता सं0 56/52 के मु0 न0 34 के किला न0 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 35 के किला न0 16, 25, मु0 न0 41 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24 मु0 न0 42 किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2 कुल रकबा 7.5900है0 जिसमें से नहरी 7.3360है0, गै0 मु0 रास्ता 0.2540है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के नाम से 659/7590 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 जयलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी नन्दराम व प्रतिवादी स0 2 शीशपाल व प्रतिवादी सं0 3 महावीर प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09-09-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)